संख्या– 588 /2022/3956/41-2022-237(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2022**

विषयः- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन के बहुमुखी विकास के उददेश्य से पर्यटन नीति-2018 प्रख्यापित की गयी थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की विविध सम्भावनाओं तथा बदलते परिदृष्य के दृष्टिगत मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन दिनांक 16.11.2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 को अवक्रमित करते हुए उसके स्थान पर संलग्न उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 प्रख्यापित की जाती है।

2 उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

प्रश्नगत प्रकरण/अन्य किसी नीतिगत निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, जिसकी संस्तुति पर अग्रतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाना।

3- कृपया तदनुसार संलग्न उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में किये गये प्रावधानों/लक्ष्यों के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. **<u>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव</u>**
   न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, संस्कृति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, स्टाम्प एंव निबंधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम विभाग, ऊर्जा विभाग तथा आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।